संख्या-41/2025/132/60-1-2025 (सी-993882)

प्रेषक,

प्रेम प्रकाश सिंह,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,

महिला कल्याण,

उ0प्र0 लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1 **लखनऊः:दिनांकः: 08 जुलाई, 2025**

विषयः- स्टेट डाटा मैनेजमेन्ट सेन्टर (एस0डी0एम0सी0) की स्थापना/संचालन कराये जाने हेतु भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-597/निदे0म0क0/प्रोबे0/एस0डी0एम0सी0/2025-26, दिनांक 11.06.2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस0डी0एम0सी0 कमाण्ड कन्ट्रोल रूम तथा मा0 किशोर न्याय समिति, सचिवालय, मा0 उच्च न्यायाल, खण्डपीठ, लखनऊ में स्थापित उपकरणों एवं विभाग के अन्तर्गत संचालित विभागीय संस्थाओं वाले समस्त 32 जनपदीय जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय एवं 17 मण्डलीय कार्यालयों तथा 68 विभागीय संस्थाओं में उपकरणों की आपूर्ति एवं क्रियान्वयन संबंधी भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-05-किशोर न्याय निधि के मानक मद-42-अन्य व्यय में कार्यदायी संस्था अपट्रान पावरट्रानिक्स लिमिटेड को स्वीकृत कुल लागत रू0 6,79,04,819/- (रूपये छः करोड़ उन्यासी लाख चार हजार आठ सौ उन्नीस मात्र) के सापेक्ष अवशेष 60 प्रतिशत की धनराशि रू0 4,07,42,893/- (रूपये चार करोड़ सात लाख बयालीस हजार आठ सौ तिरानवे मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 27.03.2025 का पूर्णतः अनुपालन करना सुनिश्चत किया जायेगा।

(2) निर्धारित देयता का निर्धारण एवं औचित्य का परीक्षण निदेशक, महिला कल्याण द्वारा अपने स्तर से किया जायेगा।

(3) धनराशि के आहरण एवं व्यय से पूर्व निदेशक, महिला कल्याण द्वारा स्वयं के स्तर से संतुष्ट होने के उपरान्त ही प्रश्नगत भुगतान की कार्यवाही का निर्णय स्वयं सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।

(4) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्तीय नियम एवं मितव्ययता सम्बन्धी शासनादेश की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी निदेशक, महिला कल्याण की होगी।

(5) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान योजना विषयक गाइडलाइन्स का अनुपालन निदेशक, महिला कल्याण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए यथावश्यकतानुसार किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(7) निदेशक, महिला कल्याण का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि एम०ओ०यू० के अनुसार 40 प्रतिशत धनराशि का भुगतान उपकरणों की डिलीवरी के उपरान्त द्वितीय किश्त के रूप में तथा 20 प्रतिशत धनराशि का भुगतान समस्त संस्थाओं में उपकरण स्थापित तथा सुचारू रूप से क्रियाशील होने से संबंधित प्रमाण पत्र जनपदों से प्राप्त किये जाने के उपरान्त किया जाएगा।

(8) निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 यह सुनिश्चित करेंगे कि योजनान्तर्गत निर्गत की जाने वाली धनराशि की द्विरावृत्ति न हो।

(9) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेग। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है, तो इसके लिए निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

(10) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 का होगा।

(11) उक्त धनराशि का आवंटन मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का (एलाटमेंट) अधिकार प्रदान नहीं करता है। निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0 स्तर से बजट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

(13) धनराशि का निदेशक, महिला कल्याण, उ0प्र0/विभागाध्यक्षनियंत्रक अधिकारी/ के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,07,42,893 (रूपये चार करोड़ सात लाख बयालीस हजार आठ सौ तिरानवे मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 लेखाशीर्षक-2235021020500-किशोर न्याय निधि मानक मद-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-4-33-X-2025-26, दिनांक 01.07.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(प्रेम प्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

5- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4

6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)

अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।